कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 578 /12-1 दिनांक, मसूरी 16 –08–2017।

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :– जनपद टिहरी गढ़वाल के अर्न्तगत हनुमान मंदिर से स्यालसी –गोरण मोटर मार्ग (कूल लम्बाई–3.40किमी0) के निमार्ण हेतु अपेक्षित 0.8775 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0, अस्थाई खण्ड, थत्यूड़ को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

सन्दर्भ :– आनलाईन प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/15216/2015/ अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल) का पत्रांक 56/ 21सी0 दिनांक 21–01–2017।

महोदय,

अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल) द्वारा उक्त सन्दर्भित पत्र (प्रति संलग्न) से "जनपद टिहरी गढ़वाल के अर्न्तगत हनुमान मंदिर से स्यालसी –गोरण मोटर मार्ग (कूल लम्बाई– 3.40किमी0) के निमार्ण हेतु अपेक्षित 0.8775 है0" वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0, अस्थाई खण्ड, थत्यूड़ को आनलाईन प्रत्यावर्तन प्रस्ताव मय हार्ड प्रति इस कार्यालय में अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया है। प्रभाग स्तर से जांच /परीक्षण उपरान्त आवश्यक संस्तुति सहित विषयांकित प्रस्ताव की एक (01) हार्ड प्रति प्रेषित है। विषयांकित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि का स्थलीय संयुक्त निरीक्षण का कार्य अधीनस्थ स्टाफ, राजस्व विभाग व प्रस्तावक विभाग के कर्मचारियों /अधिकारियों द्वारा दि0 15–05–2015 को किया गया। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण स्थल /समरेखण में विभिन्न प्रजाति /व्यासवर्ग के निम्नवत् कुल 14 वृक्ष प्रभावित /बाधक है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तावित समरेखण का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 10–08–2017 को किया गया है।

क. सं.	भूमि का विवरण	प्रजाति का नाम	व्यास वर्ग								योग
			0–10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70 से अधिक	
1	जौनपुर रेंज– सिविल भूमि (कुल बाधित वृक्षों की सं0– 7)	बॉज	0	2	2	1	0	0	0	0	5
2	नाप भूमि (कुल बाधित वृक्षों की सं0–7)	बॉज	0	1	1	0	0	0	0	0	2
योग – कुल 14 वृक्ष			0	3	3	1	0	0	0	0	7

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कृपा करें।

संलग्नक–: उक्तानुसार। (प्रस्ताव की एक (01) प्रति)।

भवदीय

(डा0 साकेत बडोला भा.व.से.)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 578 /दिनांकित।

प्रतिलिपि – अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल) को उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में।

(डा0 साकेत बडोला भा.व.से.)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, थत्यूड़, (टिहरी गढ़वाल)।
E-Mail- eepwdthatyur@rediffmail.com Phone & Fax:- 01376-246321

पत्रांक 56 / 21 सी0 दिनांक 21/ 01 /2017

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी।

विषय :— जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत हनुमान मन्दिर से स्यालसी गौरण मोटर मार्ग का निर्माण हेतु (0.8775 है0)। वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के हार्ड प्रतियां प्रेंषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त मोटर मार्ग की भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की फाईल ऑन लाइन प्रेषित की जा चुकी है एवं इसी प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए हार्ड प्रतियां (02 नं0) आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार 02 प्रतियों में।

(इं0ए0एस0 भण्डारी)
अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,
थत्यूड़, (टिहरी गढ़वाल)।

पत्रांक /21सी0 दिनांक / 01 /2017
प्रतिलिपि :— सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)/अमीन अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, थत्यूड को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,
थत्यूड़, (टिहरी गढ़वाल)।

भाग – II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।) प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या ......

7-	परियोजना स्कीम का स्थान	जनपद टिहरी गढ़वाल के अर्न्तगत हनुमान मंदिर से स्यालसी–गोरण मोटर मार्ग (कुल लम्बाई–3.40 किमी0) के निमार्ण हेतु अपेक्षित 0.8775 है0 सिविल सोयम भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0, अस्थाई खण्ड, थत्यूड़ को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।
(i)	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	टिहरी गढ़वाल
(iii)	वन प्रभाग	मसूरी वन प्रभाग, मसूरी
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टेअर में)	0.8775 हैक्टर
(v)	वन की कानूनी स्थिति	0.1350 है0 सिविल भूमि ग्राम डोलसी 0.6255 है0 सिविल भूमि ग्राम स्यालसी 0.1170 है0 सिविल भूमि ग्राम गोरण 0.8775 है0
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.1
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनानाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल. –2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.–4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखण में विभिन्न प्रजाति /व्यासवर्ग के (07)सात वृक्ष सिविल भूमि तथा 07 वृक्ष नाप भूमि में कुल 14 वृक्ष प्रभावित /बाधक है। जिसमें (05 सिविल भूमि तथा 02 नाप भूमि कुल 07) बॉज प्रजाति के वृक्ष सम्मिलित है। उक्त सभी वृक्षों की भूमिवार /प्रजातिवार / व्यासवर्गवार गणना एंव मूल्यांकन सूची प्रस्ताव के संलग्नक–20 से 24 पर चस्पा है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	नहीं। इस बावत प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक–48 से 50 पर वरिष्ट भू–वैज्ञानिक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एंव विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून की दि0 02–02–2015 की आख्या चस्पा है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित /चयनित स्थल ग्राम डोलसी, स्यालसी एंव गोरण की सिविल भूमि की सीमा अर्न्तगत स्थित है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)	नहीं। इस बावत् प्रस्तावक/लो0नि0वि0 एंव वन विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक –27 पर तत्संबंधी प्रमाण पत्र चस्पा है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है।यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	––––नहीं––––
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। इस बावत् प्रस्तावक /लो0नि0वि0 एंव राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक – 56 पर प्रमाण पत्र चस्पा किया गया है।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद–वार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक /लो0नि0वि0 एंव राजस्व विभाग द्वारा प्रदत प्रमाण पत्र प्रस्ताव के संलग्नक – 54 पर चस्पा है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नही) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	– नहीं–
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	प्रस्तावित कार्य हेतु अपेक्षित वन भूमि 1.00 है0 से कम है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राविधान नहीं किया गया है।

(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अपेक्षित वन भूमि 1.00 है0 से कम है। अतः प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित मार्ग के निर्माण कार्य में सिविल सायेम भूमि में प्रभावित / बाधक होने वाले (07) सात वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक 39ए पर चस्पा है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उक्तानुसार।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	**प्रजातियां:–** जलवायु के अनुरुप मिश्रित प्रजातियां। **कार्यान्वयन एजेन्सी:–** स्वयं वन विभाग। **समय:–** उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर। **लागत:–** प्रस्तावित योजना के निर्माण में बाधक वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण हेतु रू0 70000.00 (रू0 सत्तर हजार मात्र) का प्राक्कलन संलग्नक 39ए पर चस्पा है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	प्रस्तावित योजना के निर्माण में बाधक वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण हेतु रू0 70000.00 (रू0 सत्तर हजार मात्र) का प्राक्कलन संलग्नक 39ए पर चस्पा है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	–
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारियों, फील्ड स्टाफ, राजस्व विभाग एवं प्रस्तावक /लो0नि0वि0 की स्थलीय संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके संलग्नक– 13 व 14 पर चस्पा है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण दि0 17–08–2016 एवं 10–08–2017 को किया गया है, जो कि स्थलीय संयुक्त निरीक्षण के साथ संलग्नक–14 ए व 14बी पर चस्पा है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	जिला– टिहरी गढ़वाल
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4421 वर्ग कि0मी0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	4058.90 वर्ग कि0मी0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 94 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 979.9032 है0 है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 516.5694 है0 एवं 463.3338है0 सिविल सोयम भूमि है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :– (ख) वनेतर भूमि पर:–	(क) 227.0912 /622.9106 हैक्टेयर (ख) रिक्त
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति:– (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर	(क) 1– 218.90 है0/504.88 है0 में प्रभाग के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट एवं प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर

दिनांक: 16-8-2017 ।

स्थान:– मसूरी.

नाम:– (डा0 साकेत बडोला)

मुहर

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी